

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण क०-435 / 08
संस्थित दिनांक 17 / 11 / 2008
फाईलिंग नं० 233504000162007

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

श्रीराम पिता दौलत पवार, उम्र 44 वर्ष,
 जाति पवार, पेशा ड्रायवर, नि०ग्राम भिलाई,
 थाना मुलताई, जिला बैतूल (म०प्र०),

-----अभियुक्त.

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-17 / 11 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्त श्रीराम के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 279, 338, 304 “ए” के तहत अभियोग है कि दिनांक 29 / 05 / 08 को 08:30 बजे पंखा एवं ससुन्द्रा के बीच पेट्रोल पम्प के सामने मार्ग पर थाना आमला, जिला बैतूल में वाहन ट्रक एल.पी.टी. —एम.एच 31—एम 4602 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। आपने उक्त ट्रक को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर स्टार सी.टी. मोटर साईकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे अजय को घोर उपहति कारित की। आपने उक्त ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित करते हुये स्टार सी.टी. मोटर सायकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे राजकुमार की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वध क कोटि में नहीं आती।

2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ससुन्द्रा रहता है। वह तथा राजकुमार दोनों मोटर साईकिल से बैतूल संविदा शिक्षक के फार्म जमा करने आये थे फार्म जमा नहीं हुआ तो कोरियर कर वापस मोटर साईकिल से ससुन्द्रा जा रहे थे मोटर साईकिल राजकुमार चला रहा था कि करीबन 8 बजे रात्री की बात है जैसे ही पंखा एवं ससुन्द्रा के बीच वाले पेट्रोल पंप के पास पहुँचे मुलताई तरफ से एक ट्रक को उसका चालक बड़ी तेजी व लापरवाही से चलाते लाया और उनकी मोटर साईकिल पर टक्कर मार दिया और बैतूल तरफ भाग गया, दोनों गिर गये उसे दाहिने पैर के नीचे दाहिने तरफ बांये हाथ के पंजे पर चोट आयी। साथी राजकुमार के चेहरे पर एवं दाहिने पैर पर चोट आयी राजकुमार बेहोश हो गया था।

फिर उसके जीजा अनतराव कोसे को खबर की जो आये, जिन्होंने दोनों को जीप से अस्पताल लाकर भर्ती किया राजकुमार की हालत ठीक नहीं होने से पाढर लेकर गये घटना आने जाने वालों ने देखी है। वह ट्रक का नम्बर नहीं देख पाया।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार किया गया। जिसके आधार पर अप०कं. 262/08 अंतर्गत धारा 279, 337, 338, 304 "ए" भा०द०वि० का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मर्ग इन्टीमेशन तैयार किया गया। मृत्यु जांच पंचायतनामा प्र०पी० 5 तैयार किया गया, नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 6 तैयार किया गया, शव परीक्षा प्रतिवेदन प्र०पी० 9 तैयार किया गया, दिनांक 03/09/08 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र०पी० 7 तैयार किया गया, आहतों का मेडिकल मुलाहिजा कराया गया, साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 8 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1— "आपने दिनांक 29/05/08 को 08:30 बजे पंखा एवं ससुन्द्रा के बीच पेट्रोल पम्प के सामने मर्ग पर थाना आमला जिला बैतूल में वाहन ट्रक एल.पी. टी.-एम.एच31-एम 4602 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया?"

2— उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने ट्रक को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर स्टार सी.टी. मोटर साईकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे अजय को घोर उपहति कारित की?"

3— "उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित करते हुये स्टार सी.टी. मोटर सायकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे राजकुमार की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वद्य क कोटि में नहीं आती?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क० 1,2,3 का निराकरण

6— सुविधा की दृष्टि से विचारणीय प्रश्न कं 1,2 व 3 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है जिससे की पुनरावृत्ति न हो।

7— अभियोजन साक्षी राजेश अतुलकर (अ०सा०७) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 30/05/08 को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को ओ०पी० पाढर के आरक्षक विजय टोप्पो द्वारा राजकुमार पिता बनतराव कोसे, उम्र 21 वर्ष, नि० ससुन्द्रा के शव को शव परीक्षण हेतु लाया गया था जिसका शव परीक्षण उसके द्वारा किया गया था। बाह्य परीक्षण में मृतक का शव

जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष है। चित अवस्था में मोरचरी टेबल पर लेटा था आंखे बंद मुंह अध खुला बांये कान पर जमा हुआ, रक्त दांयी आंख पर सूजन के साथ नीलापन था। दोनों नाक के छिद्रों में जमा हुआ रक्त मौजूद था। दोनों आंखों की पुतली फैली हुई एवं स्थिर थी शरीर के हाथ एवं पैरों में मृत्यु पश्चात् अकड़न आ चुकी थी। दांयी अग्र भुजा पर इंजेक्शन का निशान था। चोट क्रं. 1 दांये पैर के निचले भाग की दोनों हड्डीयों फैक्चर थी, चोट क्रं. 2 दांये निचले पैर पर कटा हुआ घाव था जिसका आकार देड़ गुणित एक गुणित एक से०मी० था, चोट क्रं. 3 नीचले जबड़े की हड्डी में फैक्चर था चोट क्रं 4 ठोड़ी पर कटा हुआ घाव था जिसका आकार देड़ से०मी० डायेमीटर था, पेट खोलकर देखने पर पेट की पेरीटोनियल केविटी में जमा हुआ रक्ता था।

8— आगे इस गवाह ने बताया है कि आंतरिक परीक्षण में वृक्ष के परदा पसली फुफुस कंड एवं बांया फेफड़ा सभी पेल थे, हृदय के दोनों कक्ष खाली थे। उदर का परदा आंतों की झिल्ली मुंह तथा ग्रास नली पेल थी। पेट के भीतर तरल भोज्य पदार्थ एवं गैसेस थी छोटी आंत में अधपचा भोजन था। बड़ी आंत में मल एवं गैसेस थी। यकृत, गुर्दा, मुत्राशय सभी पेल थे स्पीलिन फटी हुई थी। चोटों के संबंध में अभिमत सभी चोटें मृत्यु पूर्व की थी। उसके मतानुसार मृत्यु का कारण शॉक है जो पेट के अंदर अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से है जो सख्त एवं बोथरी वस्तु से आया है। समयावधि परीक्षण के 24 घंटे के भीतर की थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी० 9 है। जिसके अ से अ एवं ब से ब भाग पर उसके हस्ताक्षर है।

9— इस गवाह के द्वारा मृतक के शरीर में पाई गई आंतरिक बाह्य चोट को अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से बताया है और मृतक के शरीर में पाई गई चोटों के संबंध में बचाव पक्ष की ओर से प्रश्नगत नहीं किया है। साथ ही इस गवाह के द्वारा प्र०पी० 09 की रिपोर्ट को अपनी साक्ष्य से प्रमाणित किया है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक को मृतक राजकुमार की मृत्यु दुर्घटना में हुई थी, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

10— न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय है कि क्या अभियुक्त के द्वारा घटना दिनांक वाहन ट्रक को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर आहत अजय को घोर उपहति एवं मृतक राजकुमार की मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। यहां मुख्य रूप से यह विचारणीय है कि क्या घटना दिनांक को अभियुक्त वाहन ट्रक को चला रहा था, और उसी की उपेक्षा व लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई।

11— अभियोजन साक्षी अजय (अ०सा०३) ने अपनी मुख्य परीक्षा में बताया है कि जैसे ही वे पेट्रोल पंप के पास पहुँचे तो सामने से एक ट्रक आया, उसकी मोटर साईकिल को टक्कर मार दी जिससे राजकुमार की मृत्यु हो गई, एकसीडेंट से उसके हाथ पैर और सिर में चोट आई थी उसे जिला चिकित्सालय बैतूल में होश आया था। घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 2 लेख कराई थी जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस घटना स्थल पर आई थी घटना नक्शा मौका प्र०पी० 3 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। आगे इस गवाह ने सूचक प्रश्न की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि ट्रक के चालक ने तेजगति एवं लापरवाही से ट्रक चलाकर लाया था और उसकी मोटर साईकिल को टक्कर मार कर भाग गया था। आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि आरोपी श्रीराम ने ट्रक क्रं

एम०एच० 31-एम-4602 को तेजगति एवं लापरवाही से चलाकर उसकी मोटर साईकिल को टक्कर मार दी थी। जबकि यह गवाह स्वयं फरियादी और आहत है और इस गवाह ने ही अपनी संपूर्ण मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि अभियुक्त घटना दिनांक को वाहन ट्रक को चला रहा था और उसी की उपेक्षा एवं लापरवाही से दुर्घटना घटित हुई।

12- अभियोजन साक्षी अनिल (अ०सा०1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने एक्सीडेंट होते हुये नहीं देखा। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आहतगणों का एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ था। उसी प्रकार अभियोजन साक्षी हरिश (अ०सा०2) ने भी प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि उसके सामने कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था और ना ही उसे इस बात की जानकारी है कि किस वाहन से एक्सीडेंट हुआ था। इस प्रकार उक्त गवाहों ने अपनी मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा के आए तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त के द्वारा वाहन ट्रेक्टर को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया एवं आहत अजय को टक्कर मारकर घोर उपहति कारित की एवं उक्त वाहन को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उक्त ट्रक से मोटर साईकिल से टक्कर मारकर राजकुमार की मृत्यु कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

13- अभियोजन साक्षी संतोष (अ०सा०5) प्र०पी० 5 का नोटिस एवं नक्शा पंचायतनामा प्र०पी० 6 का साक्षी है। किन्तु इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्वीकार किया है कि घटना कैसे हुई थी उसे नहीं मालूम। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई, यह स्पष्ट नहीं करती है।

14- अभियोजन साक्षी राजेश अ०सा० 6 अभियोजन साक्षी बाबुराव अ०सा० 8 है उक्त गवाह घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। किन्तु उक्त गवाहों ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न से घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

15- अभियोजन साक्षी देवेन्द्र (अ०सा०4) ने अपनी मुख्य परीक्षा व सूचक प्रश्न में घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन किया है।

16- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन ट्रक एल.पी.टी.-एम.एच०31-एम 4602 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। और उर्पयुक्त किए गए विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने ट्रक को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर स्टार सी.टी. मोटर साईकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे अजय को घोर उपहति कारित की। उर्पयुक्त किए गए विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित करते हुये स्टार सी. टी. मोटर सायकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे राजकुमार की ऐसी मृत्यु कारित की जो कि मानव वध की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1, 2 व 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

17- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने वाहन ट्रक एल.पी.टी.-एम.एच०31-एम 4602 को उपेक्षापूर्वक एवं उतावलेपन से संचालित कर मानव जीवन संकटापन्न किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह

प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने ट्रक को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक संचालित कर स्टार सी.टी. मोटर साईकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे अजय को घोर उपहति कारित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने ट्रक को उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से संचालित करते हुये स्टार सी.टी. मोटर सायकिल को टक्कर मारकर उसमें बैठे राजकुमार की ऐसी मृत्यु कारित की जो मानव वद्य की कोटि में नहीं आती। इस प्रकार अभियुक्त श्रीराम को भा०द०वि० की धारा-279, 338, 304 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18— प्रकरण में आरोपी के धारा 313 द०प्र०सं० के पूर्व प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं। आरोपी का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

19— प्रकरण में जप्तशुदा ट्रक एल.पी.टी.नं. एम.एच. 31/एम 4602 को आवेदक/सुपुर्दार श्रीराम पिता दौलत पवार, नि० भिलाई, तह० मुलताई, जिला बैतूल की सुपुर्दगी में है। उक्त वाहन के संबंध में किसी अन्य ने दावा नहीं किया है। अतः सुपुर्दनामा आदेश निरस्त किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश मान्य किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(6)

दा०प्र०क०-435 / 08